

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 10/परीक्षा/सहायक आचार्य/कॉलेज शिक्षा/EP-I/2025-26

दिनांक : 18.09.2025

आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अन्तर्गत सहायक आचार्य (Assistant Professor) के 30 विषयों के कुल 574 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित अभ्यर्थियों को नये सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। पद स्थाई हैं तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कभी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें विषयवार आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :-

Post S.No.	Name of Subject	No. of Post(s)	Gen. (UR)			S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.			Horizontal Reservation			
			GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	PH	Ex-service man
1	Hindi	58	17	5	2	0	5	1	1	0	6	1	1	0	8	3	1	0	2	0	0	0	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-1, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
2	English	21	9	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-1 SC-1 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
3	Sanskrit	26	12	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
4	Urdu	8	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
5	Persian	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
6	Botany	42	15	4	2	0	2	0	0	0	3	0	1	0	7	1	1	0	1	1	0	0	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
7	Chemistry	55	22	6	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	6	3	2	0	2	1	0	0	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-1, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
8	Maths	24	10	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-1, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
9	Physics	11	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
10	Zoology	38	14	5	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	2	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
11	A.B.S.T.	17	4	2	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
12	E.A.F.M	8	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0

✓

13	Economics	23	8	2	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
14	Statistics	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
15	Business Administration	10	0	0	0	0	0	3	1	1	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
16	Geography	60	15	5	2	0	7	2	1	0	6	2	1	0	9	1	1	1	1	2	0	0	0	4	0	1	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
17	Law	10	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
18	History	31	5	1	1	1	4	1	1	0	5	2	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	2	0	1	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
19	Home Science	12	3	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
20	Sociology	24	7	2	1	0	1	1	0	0	3	1	0	0	3	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-1, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
21	Philosophy	7	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
22	Political Science	52	10	3	1	1	9	2	2	0	3	1	0	0	7	2	1	1	2	1	0	0	4	1	1	(i) B/LV-1 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-1 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
23	Public Administration	6	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
24	Psychology	7	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
25	Garment Production & Export Management	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
26	Drawing & Painting	8	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -1	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	
27	Textile Dyeing & Painting	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0	

28	Music (Vocal)	6	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
29	Music (Instrument)	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0
30	Dance	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(i) B/LV-0 (ii) H.I.-0, (iii) LD/CP&Others-0, (iv) (a) I.D., M.I., S.L.D., Autism & (b) Mul.Dis. -0	Gen(UR)-0 SC-0 ST-0 OBC-0 MBC-0 EWS-0

Abbreviations Used: GEN – General, U.R.- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, B/LV- Blind/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of hearing, LD/CP & Others – Loco motor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction and muscular dystrophy, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. – Ex Serviceman

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथारिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अन्यथीं उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसी भर्ती वर्षों को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगीत नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अन्तीम सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पर्वों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पर्वों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथारिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और यथारिति अति पिछड़े वर्गों के विक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पर्वों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथीं उपलब्ध नहीं होने पर इन पर्वों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विद्यवा या विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्यथीं के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अन्यथीं के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अन्यथीं के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों उस प्रवर्ग के पुरुष अन्यथीं द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अन्यथीं के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं तो विच्छिन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के प्रवर्ग के भीतर क्षेत्रिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में घयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यतान के लिए दर्शाए गए पर्वों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) है अर्थात् अन्यथीं जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्द्धावार क्षेत्रिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तप्यश्वात् ऐसी रिक्तियां व्यपात हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी जानी जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में अग्रनीत नहीं की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तररिक्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य विक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पर्वों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरात राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एसरी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उक्त सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अन्यथीं को आरक्षण का लाभ देय होगा।

टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगे।"

शैक्षणिक योग्यता :-

- पद क्रम संख्या 1 से 27 तक के पर्वों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 की अनुसूची - 1 के बिंदु सं. 7 के अनुसार) :-

- A Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied Subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
- Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET:

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following Conditions:-

- The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;
- The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
- An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;
- The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal;
- The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ICSSR/CSIR or any similar agency.

The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

OR

B. The Ph.D. degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following:

- Quacquarelli Symonds (QS)



- (ii) the Times Higher Education (THE) or  
 (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).

2. Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.  
**2. पद क्रम संख्या 28 से 30 तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 की अनुसूची – 1 के बि. सं. 7 के अनुसार) :-**

- 1.A.(i) Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in the relevant subject or an equivalent degree from an Indian/foreign University.
- (ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR, or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be. Provided further, candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following Conditions:-
- Ph.D. degree has been awarded to the candidate in a regular mode;
  - The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;
  - An open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted;
  - candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which, at least one is in a refereed journal;
  - The candidate has presented at least two research papers based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars supported/funded/sponsored by the UGC/AICTE/ICSSR or any other similar agency.

Note 1: The fulfillment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affair) of the University concerned.

2: The clearance of NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC (like SLET/SET).

OR

B. A traditional or a professional artist with highly commendable professional achievement in the subject concerned having a Bachelor's degree, who has:

- studied under a noted/reputed traditional Master(s)/Artist(s)
- Has been "A" grade artist of AIR/Doordarshan;
- Has the ability to explain, with logical reasoning the subject concerned; and
- Has adequate knowledge to teach theory with illustrations in the discipline concerned.

2. Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

**NOTE:- (पद क्रम संख्या 1 से 30 तक के लिए)** A relaxation of 5% shall be allowed at the Bachelor's as well as at the Master's level for the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/More Backward Classes/Backward Classes (BC) (Non-creamy Layer/Differently-abled ((a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy ; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness) for the purpose of eligibility for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure.

नोट :-

1. 01 जून, 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से SLET/SET उत्तीर्ण अर्थात् पात्र होगा।

2. 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण (SLET/SET) अर्थात् को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

यूजी.ओ. रेजुलशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अतः विभिन्न पाठ्यक्रमों की क्रम में इसका अवलोकन आयोग की वेबसाइट पर करें।

**Note:** 1. अर्थात् को वांछित शैक्षणिक अर्हता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि) होने पर ही Online आवेदन करना चाहिये तथापि ऐसे अर्थात् यों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।  
 2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर ही उसे प्रत्याहरित (Withdrawal) नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 217 के तहत दण्डीय अपराध है। ऐसे अर्थात् को कालान्तर में काउन्सिलिंग/प्राप्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में समिलित हुआ हो या समिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अंजित करने का सघृत देना होगा। नोट :- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।
---------------------------------	---

पे बैंड व ग्रेड पे	ए एल-10 (15600-39100) (AGP-6000) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परिविकालालै में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
--------------------	---

आयु सीमा	दिनांक 01.07.2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। नोट :- पद क्रम संख्या 1 से 4 तक, 6 से 13 तक, 15 से 26 तक एवं 28 से 29 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञापित किये थे जिसके तहत आयु गणना का आधार 01.07.2023 रखा गया था। अतः उक्त पद क्रमों हेतु संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार जो अर्थात् 01.07.2025 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 01 वर्ष की अंतिरिक्ष छूट देय होगी। पद क्रम संख्या 5, 14 एवं 27 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 या इसके पूर्व में विज्ञापित किये गये थे। अतः उक्त पद क्रमों हेतु संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार जो अर्थात् 01.07.2025 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की अंतिरिक्ष छूट देय होगी। पद क्रम संख्या 30 के पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किये जाने के कारण उक्त अविस्तरण का अनुसार उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी।
----------	--

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र. सं.	अर्थात् यों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अर्थात् Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Woman Candidate belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अर्थात् Woman Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परिव्यक्ता / तलाकशुदा) महिला Widow and divorcee Women Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजिस्टर्ड अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।	

	That the upper age limit mentioned above shall be 50 years in the case of reservist, namely the Defence Services personnel transferred to the Reserve.
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.
7.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बाबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
8.	राजस्थान राज्य के कार्य कलापों में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in through the Commission by interview.
9.	सरकार के शिक्षा विभाग और पंचायत समितियों के Substantive अध्यापकों के मामले में तीन अवसरों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट दी जायेगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 15 years in the case of substantive teachers in the Education Department of the Government and the Panchayat Samitis subject to the limit of 3 chances.
10.	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या डाक्टरेट साथ में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की उपाधि और/या स्नातकोत्तर कक्षाओं का 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव रखने वाले अध्यर्थियों के मामले में तीन अवसरों के अध्याधीन रहते हुए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 5 years in the case of candidates having a First Class Master's Degree or a Doctorate in the subject concerned of a University established by law in India with 5 years experience of teaching Degree and / or post-graduate classes in a recognized college subject to the limit three chances.
11.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आसिया उपस्थिति के समय उसे पाकर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age-limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
12.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपकर्मों/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.
13.	पूर्णकालिक विधि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit mentioned above shall be 40 years for recruitment to the post of whole time Assistant Professor in law.
14.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां अनुसार पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों के इन नियमों के अधीन पहले से ही उपरिवर्णित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त अनुभव की कालावधि के बाबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञाय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां अनुसार पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen; Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अध्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
15.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmark disabilities.
नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेगे।	
<b>नोट -</b>	
1.	उपर्युक्त वर्णित क्र.सं. 1 से 14 तक के आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अध्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2.	विशेषयोग्यजन को, ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के अपर्युक्त विन्दु संख्या 01 से 14 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात विन्दु संख्या 15 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
3.	कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आस्थान के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अध्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियात (जैसे- आयुसीमा, अक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारोहित) व्यक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
4.	राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अध्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.	अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।
<b>अन्य विवरण</b>	
चयन प्रक्रिया	अध्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्कोलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अध्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राविकारी को अनुशंसित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार की मेरिट (Merit) के क्रम में व्यवस्थित होंगे।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा दिनांक 01.12.2025 से 24.12.2025 तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 20.09.2025 से दिनांक 19.10.2025 तक 12:00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अध्यर्थी आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अध्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भर्ती/परीक्षा हेतु संबंधित भर्ती सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही लाउ होंगे। 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <a href="https://sso.rajasthan.gov.in">https://sso.rajasthan.gov.in</a> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment







